

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का०आ०सं०-01/विविध-20/2021

पटना, दिनांक ०७/०१/२०२६

कार्यालय आदेश-०८

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रशाखाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 40 प्रशाखाओं के बीच कार्यों का पुर्नआवंटन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
1.	<u>प्रशाखा-1</u>	(1) प्रशाखा पदाधिकारी से प्रधान सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (2) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं उसके उपर अभियंता प्रमुख तक के पदों पर प्रोन्नति/स्थानान्तरण /सेवोत्तर लाभ, वरीयता सूची का प्रकाशन एवं स्थापना संबंधी कार्य। (3) बिहार तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य। (4) प्रमंडल का नामकरण एवं पुनर्गठन तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण कार्य। (5) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित कार्य। (6) बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन। (7) बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायधिकरण के स्थापना संबंधी कार्य। (8) आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव का स्थापना संबंधी कार्य। (9) पदों का अवधि विस्तार एवं पदों का सृजन संबंधी कार्य।
2.	<u>प्रशाखा-2</u>	(1) सहायक अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति एवं विभागीय संवर्ग आवंटन कार्य/सम्पुष्टि एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) बिहार तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य। (3) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति संबंधी कार्य। (4) सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्त पदाधिकारियों को ACP/MACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी कार्य। (5) सहायक अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) का सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (6) बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट एवं सहायक अभियंता का वरीयता सूची का प्रकाशन। (7) सहायक अभियंता का नियुक्ति नियमावली का गठन।
3.	<u>प्रशाखा-3</u>	(1) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) की नियुक्ति/सम्पुष्टि/पदस्थापन एवं स्थानान्तरण/वरीयता एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) में नियुक्त सभी स्तर के पदाधिकारी को ACP/MACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी कार्य। (3) बिहार अवर अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
4.	<u>प्रशाखा-4</u>	(1) मुख्यालय के वर्ग-3 एवं 4 का स्थापना/सेवोत्तर लाभ संबंधी कार्य। (2) मुख्यालय स्तरीय सभी संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। (3) मुख्यालय के लिए लिपकीय सेवा/आंशुलिपिक सेवा नियमावली। (4) मुख्य सचिव/वित्त विभाग में आयोजित सेवान्त लाभ की समीक्षा बैठक से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।
5.	<u>प्रशाखा-5</u>	(1) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थापना, सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के प्रधान सहायक का स्थापना संबंधी कार्य। (3) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों से संबंधित कार्य एवं इनके नियमित स्थापना में नियुक्ति संबंधी कार्य। (4) क्षेत्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। (5) क्षेत्रीय स्थापना के अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित नियमावली।
6.	<u>प्रशाखा-6</u>	(1) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्रिक संधारण। (2) विधान मंडलीय/संसदीय मामलों से संबंधी कार्य। (3) मानवाधिकार से संबंधित मामला (विधायी कार्य)
7.	<u>प्रशाखा-7</u>	(1) बिहार लोक निर्माण संहिता एवं निर्माण कार्यों से संबंधित अन्य संहिता/नियम/निर्देश एवं निर्माण कार्यों से संबंधित मामले। (2) विभागीय कार्य प्रमंडलों के निविदा निष्पादन एवं अन्य संबंधित कार्य। (3) अस्थायी अग्रिम का समायोजन/निर्माण/मरम्मत कार्य से संबंधित न्यायालयीय वाद। (4) संवेदकों का निबंधन एवं नवीकरण कार्य। (5) ट्रिब्यूनल एवं पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित कार्य। (6) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार संबंधित मामले।
8.	<u>प्रशाखा-8</u>	(1) वित्त (अंकेक्षण) विभाग से संबंधित मामले। (2) महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन। (3) प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण। (4) सिविल कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण। (5) लोक लेखा समिति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन। (6) आन्तरिक संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन। (7) सी0ए0जी0 से संबंधित कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण।
9.	<u>प्रशाखा-9</u>	(1) विभाग के अन्तर्गत गैर-योजना एवं योजना मद के कार्यों/योजनाओं का बजट/ आवंटन/प्रत्यर्पण एवं विनियोग लेखा संबंधी कार्य। (2) महालेखाकार/वित्त विभाग/वित्त आयोग से संबंधित कार्य। (3) प्रमंडलों के मासिक लेखा एवं इस संबंध में महालेखाकार की टिप्पणी संबंधी कार्य।
10.	<u>प्रशाखा-10</u>	(1) योजना मद से कार्यान्वित कार्यों का कार्यक्रम सूत्रण एवं इनका स्वीकृति। (2) भू-अर्जन संबंधी कार्य। (3) नक्सल प्रभावित क्षेत्र (LWE) की योजना संबंधी कार्य। (4) सीमा क्षेत्र विकास/ अन्तर्राज्यीय सड़क सम्पर्क (5) बुद्धिस्ट सर्किट संबंधी कार्य। (6) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्य। (7) विश्व बैंक योजनान्तर्गत संबंधी कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
11.	<u>प्रशाखा-11</u>	(1) बन्दोबस्ती संबंधी कार्य। (2) पथ की भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग संबंधित कार्य। (3) पथों का अधिग्रहण संबंधी कार्य। (4) पथों के निर्माण/रख रखाव संबंधी नीतिगत मामले। (5) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (6) आर०ओ०बी०/राज्य उच्च पथ/राष्ट्रीय उच्च पथ की योजनाओं से संबंधित कार्य। (7) केन्द्र प्रयोजित अन्य कार्य। (8) नाबार्ड संबंधी कार्य। (9) जन भागीदारी प्रणाली से संबंधित कार्य।
12.	<u>प्रशाखा-12</u>	(1) विभागीय क्रय (बिटुमिन, यंत्र-संयंत्र एवं वाहन)। (2) सी०ए०जी०कोषांग। (3) क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर मोबाईल, जेनरेटर आदि संबंधित कार्य। (4) सड़क सुरक्षा एवं भू-सम्पदा से संबंधित सभी प्रकार के कार्य।
13.	<u>प्रशाखा-13</u>	(1) मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंतर्गत एवं मुख्यालय से संबंधित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद एवं सूचना का अधिकार से संबंधित सभी कार्य। (2) स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/बोर्ड एवं निगम अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद से संबंधित सभी कार्य। (3) पथ निर्माण विभाग से संबंधित पथ/यांत्रिक/रा०उ०प० इत्यादि परिवाद पत्र का सम्पूर्ण कार्य तथा संदर्भित लोकायुक्त एवं अन्य कार्य। (4) निगरानी विभाग/ट्रेप केश/प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन/सजायपता से संबंधित मुख्य सचिव के अध्यक्षता में होने वाले बैठकों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण से संबंधित कार्य तथा उप सचिव ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग को भेजे जाने वाले सी०डी० से संबंधित कार्य। (5) सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित बैठक/कोर्ट केस एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित बैठकों के प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित कार्य। (6) सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) एवं इससे उच्चतर अभियंताओं (यांत्रिक/असैनिक) से संबंधित सभी निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन/निगरानी विभाग से प्राप्त स्वच्छता प्रतिवेदन का संधारण एवं इससे संबंधित अन्य कार्य। (7) पथ निर्माण विभाग अंतर्गत रा०उ०प० उपभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद से संबंधित सभी कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
14.	<u>प्रशाखा-14</u>	(1) मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद एवं सूचना का अधिकार से संबंधित सभी कार्य। (2) पथ निर्माण विभाग अंतर्गत यांत्रिक उपभाग/ केन्द्रीय निरूपण संगठन/ अग्रिम योजना उपभाग एवं सेतु प्रबंधन से संबंधित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप तथा संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद से संबंधित सभी कार्य। (3) कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) एवं शोध संवर्ग का निगरानी स्वच्छता /स्वच्छता पंजियों में अद्यतन प्रविष्टि से संबंधित सभी कार्य। (4) पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी की निगरानी स्वच्छता /स्वच्छता पंजियों में अद्यतन प्रविष्टि से संबंधित सभी कार्य। (5) सीमांचल उपभाग अंतर्गत संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद से संबंधित सभी कार्य। (6) झारखण्ड राज्य के सभी विभाग से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं संसदीय, विधानमंडलीय, न्यायिक वाद, लोकायुक्त वाद से संबंधित सभी कार्य।
15.	<u>प्रशाखा-15</u>	अग्रिम योजना उपभाग (1) अग्रिम योजना उपभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं अग्रिम योजना उपभाग में पदस्थापित कर्मचारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (2) अग्रिम योजना उपभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के स्थापना संबंधी कार्य।
16.	<u>प्रशाखा-16</u>	मुख्यालय स्तर पर कार्यों के अनुश्रवण संबंधित कार्य।
17.	<u>प्रशाखा-17</u>	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत पूर्व बिहार अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर एवं भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा से संबंधित तुलनात्मक विवरणी, प्राक्कलन दायित्व, पथों एवं पुलों का जाँच प्रतिवेदन संबंधित सभी कार्य। अलकतरा एवं अन्य सामग्रियों के भंडार रक्षा से संबंधित कार्य, पेट्रोलपम्प, जन सम्पर्क से संबंधित सभी कार्य, ऑप्टिकल फाईवर से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।
18.	<u>प्रशाखा-18</u>	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना एवं मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया से संबंधित तुलनात्मक विवरणी, प्राक्कलन दायित्व, पथों एवं पुलों का जाँच प्रतिवेदन संबंधित सभी कार्य। पेट्रोलपम्प का एन०ओ०सी० से संबंधित अन्यायिक मामला सभी कार्य, ऑप्टिकल फाईवर से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।
19.	<u>प्रशाखा-19</u>	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता, तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित सभी कार्य। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित न्यायिक मामला।
20.	<u>प्रशाखा-20</u>	यांत्रिक उपभाग (1) मुख्य अभियंता (यांत्रिक) अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं उपभाग में प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव के स्थापना संबंधी कार्य। मुख्यालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के स्थापना संबंधित कार्य, हॉट मिक्स प्लांट, लेखन सामग्री, टेलीफोन एवं निधि का आवंटन संबंधित कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
21.	प्रशाखा-21	(1) कनीय अभियंता (यांत्रिक), सहायक अभियंता (यांत्रिक), क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं अनुसेवक का स्थापना संबंधित कार्य, क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मियों का स्थापना संबंधित कार्य, कर्मचारी संगठन से संबंधित कार्य।
22.	प्रशाखा-22	उत्तर बिहार उपभाग (1) कनीय अभियंताओं, क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कर्मचारियों का स्थापना संबंधित कार्य, उपभाग के कार्यालय से संबंधित कार्य।
23	प्रशाखा-23	(1) पथ अंचल, मुजफ्फरपुर से संबंधित निविदा, दायित्व, समयवृद्धि, आवंटन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, लेखा, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य। (2) पथ अंचल, हाजीपुर से संबंधित निविदा, दायित्व, समयवृद्धि, आवंटन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, लेखा, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य।
24.	प्रशाखा-24	(1) राष्ट्रीय उच्च पथ उत्तर उपभाग के स्थापना, लेखा और राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण, मरम्मती एवं रख-रखाव का कार्य।
25.	प्रशाखा-25	राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग में आवंटित सभी कार्य।
26.	प्रशाखा-26	सेतु प्रबंधन उपभाग (1) सेतु प्रबंधन उपभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों का वेतन निकासी एवं स्थापना संबंधित कार्य। (2) सेतु प्रबंधन उपभाग के अंतर्गत अंचल एवं प्रमंडलों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (3) महात्मा गाँधी सेतु के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधित कार्य। (4) राज्य में निर्मित पुलों एवं फ्लाई ओवर के निर्माण के पूर्व निरूपण तथा संबंधित नक्शा तथा निर्माण के पश्चात् यथा निर्मित नक्शा, कुशल कागजीकरण एवं प्रबंधन, पुल निर्माण के स्रोत में हो रहे आधुनिक शोध निकास पुलों का प्रबंधन, राष्ट्रीय उच्च पथ पर निर्मित सेतुओं से संबंधित पुलों का प्रबंधन इत्यादि। (5) PIU (Project Implimentation Unit), Bridge Management Information System पुल मरम्मति से संबंधित सभी कार्य। (6) राष्ट्रीय उच्च पथों पर निर्मित सेतुओं के डाटाबेस समाहित करना। Bridge Management Information System व्यवस्थापित कर पुलों से संबंधित डाटा की Reporting तैयार करना तथा Technological एवं Expert System से लैस करने का दायित्व।
27	प्रशाखा-27	केन्द्रीय निरूपण संगठन (1) प्राक्कलन से संबंधित सभी कार्य।
28.	प्रशाखा-28	केन्द्रीय निरूपण संगठन (1) केन्द्रीय निरूपण संगठन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
29.	<u>प्रशाखा-29</u> विधि प्रशाखा	(i) विभागीय न्यायिक मामला संबंधी सभी कार्य, रिट याचिका की प्रति/न्याय निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर संबंधित प्रशाखाओं को उपलब्ध कराना, कोर्ट केस से संबंधित पंजी का संधारण एवं अनुश्रवण संबंधित कार्य। (ii) "बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011" की कंडिका 4.A (4) के आलोक में विभागीय स्तर "शिकायत निवारण समिति" (Department Level Grievance Redressal Committee) से संबंधित कार्य। (iii) "बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011" की कंडिका 2.4 (b) के आलोक में विभागीय स्तर "प्राधिकृत समिति" (Department Level Empowered Committee) से संबंधित कार्य। (iv) लोकायुक्त एवं मानवाधिकार आयोग संबंधित मामले का अनुश्रवण।
30.	<u>प्रशाखा-30</u>	(1) मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा एवं वेतनादि का भुगतान संबंधित कार्य। (2) विभागीय स्तर पर क्रय किये जाने वाले कार्य का भुगतान संबंधी कार्य। (3) विभागीय पदाधिकारियों को मुकदमा विपत्र एवं यात्रा भत्ता विपत्र। (4) मुख्यालय स्तरीय निकासी एवं व्ययन संबंधी सभी अन्य कार्य। (5) पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सम्पत्ति ब्यौरा संकलन एवं संधारण संबंधित कार्य।
31	<u>प्रशाखा-31</u>	(1) उड़नदस्ता प्रमंडल से संबंधित कार्य। (2) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) से संबंधित कार्य।
32	<u>प्रशाखा-32</u>	(1) सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य।
33.	<u>प्रशाखा-33</u>	(1) भूमि अधिग्रहण संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि के साथ-साथ सतत् लीज संबंधित कार्य।
34.	<u>प्रशाखा-34</u>	रा0उ0प0, दक्षिण उपभाग से संबंधित कार्य। आदेश संख्या-7589 (एस) दिनांक 29.08.2025 द्वारा प्रशाखा-34 मुख्य अभियंता, पथ संधारण के साथ सम्बद्ध।
35.	<u>प्रशाखा-35</u>	सीमांचल उपभाग से संबंधित कार्य।
36.	<u>प्रशाखा-36</u>	सीमांचल उपभाग से संबंधित कार्य।
37.	<u>प्रशाखा-37</u>	पथ संधारण उपभाग (1) विभाग अंतर्गत सड़क का मरम्मत एवं संधारण का कार्य।
38.	<u>प्रशाखा-38</u>	मुख्य अभियंता, उत्तर (1) पथ अंचल, दरभंगा से संबंधित निविदा, दायित्व, समयवृद्धि, आवंटन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, लेखा, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य। (2) पथ अंचल, मोतिहारी से संबंधित निविदा, दायित्व, समयवृद्धि, आवंटन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, लेखा, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
39.	प्रशाखा-39	मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग (1) राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण, मरम्मती एवं रख-रखाव का कार्य। (2) राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण, मरम्मती एवं रख-रखाव का कार्य।
40.	प्रशाखा-40	मुख्यालय (1) लेखन सामग्री, बिजली सामग्री एवं अन्य सामग्री, टेबुल कुर्सी का क्रय आपूर्ति एवं मरम्मति का कार्य मुख्यालय स्थित कार्यालयों तथा उपकरणों का अन्य रख रखाव संबंधी कार्य। (2) मुख्यालय के दूरभाष, मोबाईल संयोजन, आवंटन संबंधी कार्य। (3) मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को कमरा एवं वाहन आवंटन एवं प्रवेश पत्र बनाने संबंधी कार्य। (4) सभी तरह के विपत्रों का भुगतान संबंधित कार्य। (5) हाउस कीपिंग संबंधी कार्य।

2. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमादेन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव),
अवर सचिव (प्र०को०)।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- 01/विविध-20/2021

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- 01/विविध-20/2021

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/लेखा प्रशाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- 01/विविध-20/2021

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्र०को०)।